पत्रांक-भवन/मु0अभि0(पटना)यो0प्राक्0-1-34/2020(अंश)...7799 (भ)...

# बिहार सरकार
## भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

प्रणव कुमार,भा.प्र.से.
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
सभी मुख्य अभियंता(विद्युत सहित),
भवन निर्माण विभाग, पटना।

पटना, दिनांक 18/8/...2026

विषयः- **निर्माण कार्य के विभिन्न कार्य मदों में विचलन के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय में प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान या कार्य समाप्ति के उपरांत कतिपय मदों की मात्राओं में विचलन के अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा रहे हैं। मुख्यतः निम्नांकित कार्य मदों के मात्राओं में विचलन के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं:-

1. Reinforcement की मात्राओं में अत्यधिक वृद्धि होना।
2. निर्माण स्थल का काफी नीचे होने के कारण मिट्टी आदि भराई के मात्राओं में अप्रत्याशित वृद्धि होना।
3. प्लीथ लेवल में वृद्धि के कारण संबंधित कार्य मदों यथा- आर0सी0सी0, ब्रीक वर्क, लोकल सैंड आदि के मात्राओं में वृद्धि होना।
4. कार्य के दौरान कतिपय कार्य मदों में परिवर्तन करना।
5. तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन में वर्णित कार्य मदों की मात्रा में वृद्धि या कमी।
6. परिसर विकास, पहुँच पथ एवं चहारदिवारी की वास्तविक लम्बाई मूल प्राक्कलन में शामिल नहीं होना।

उपर्युक्त के अतिरिक्त भी कतिपय कार्य मदों में विचलन के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। 20% से अधिक के विचलन का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष लाये जाते हैं।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि कार्य मदों के मात्राओं में विचलन को कम से कम किया जाय ताकि कार्य के उपरांत कार्य मदों के मात्राओं में होने वाले अत्यधिक विचलन से बचा जा सके। इसके लिए निम्नांकित दिशा-निर्देश दिये जाते हैं:-

1. प्राक्कलन तैयार करते समय प्रत्येक कार्य मदों की मात्राओं की गणना अत्यंत सावधानीपूर्वक की जाय।
2. योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राक्कलन गठन के समय निम्नांकित कार्य निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जायः-
   (I) कार्य स्थल का विस्तृत सर्वे, कंटूर प्लान, प्री-लेवल आदि निश्चित रूप से तैयार कर ली जाय, ताकि कार्य स्थल के अनुसार मिट्टी भराई एवं प्लींथ लेवल आदि का निर्धारण किया जा सके।
   (II) विस्तृत निरूपण के अनुसार Bar Bending Schedule तैयार कर Reinforcement की मात्राओं की गणना की जाय।
   (III) प्राक्कलन तैयार करते समय Stone Chips, Coarse Sand, Local Sand एवं मिट्टी आदि का वास्तविक ढुलाई से संबंधित लीड पताकर ढुलाई का दर निर्धारित की जाय।
   (IV) परिसर विकास, पहुँच पथ एवं चहारदिवारी की वास्तविक लंबाई की मापी कर प्राक्कलन में प्रावधान किया जाय।
3. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार के परिवर्तन अगर अपरिहार्य हो तो उसकी सूचना उक्त परिवर्तन के प्रभाव के साथ सक्षम प्राधिकार को अवश्य दी जाय एवं उसका अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
4. कार्य के दौरान विशेष परिस्थिति में ही स्वीकृति विशिष्टियों में ही परिवर्तन की जाय। किसी भी प्रकार के परिवर्त्तन की सूचना सक्षम प्राधिकार को देते हुए अनुमोदन प्राप्त कर ली जाय।

योजनाओं के कतिपय मदों में 20 प्रतिशत से अधिक विचलन की स्वीकृति हेतु निविदा समिति के समक्ष प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार के

विचलन प्रस्ताव की समीक्षा हेतु अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में निम्न प्रकार समिति गठित की जाती है :-

| | | |
|---|---|---|
| • अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव | - | अध्यक्ष |
| • मुख्य अभियंता(गुणवत्ता अनुश्रवण) | - | सदस्य |
| • मुख्य अभियंता (निरूपण) | - | सदस्य |
| • दक्षिण उपभाग से संबंधित विषयों के लिये मुख्य अभियंता(उत्तर) | - | सदस्य |
| • उत्तर उपभाग से संबंधित विषयों के लिये मुख्य अभियंता(दक्षिण) | - | सदस्य |
| • पटना उपभाग से संबंधित विषयों के लिये मुख्य अभियंता(संरचना) | - | सदस्य |
| • संरचना उपभाग से संबंधित विषयों के लिये मुख्य अभियंता(पटना) | - | सदस्य |

उपर्युक्त समिति विचन हेतु प्राप्त प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा कर विचलन का औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रस्ताव निविदा समिति की समक्ष प्रस्तुत करेगी।

विभागीय पत्रांक 5707(भ0)अनु0 दिनांक 14.07.2023 को निर्गत पत्र को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन

(प्रणव कुमार)
सरकार के सचिव,

ज्ञापांक- 7799(7) पटना, दिनांक- 18/8/24

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना